

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

संख्या: पीआरपीबी-एक-2(प्रोग्रामर ग्रेड-2/कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए- 2021/22 दिनांक: दिसम्बर 29, 2023

यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनार्यें बोर्ड की वेबसाइट <https://uppbpb.gov.in> पर उपलब्ध रहेंगी। कृपया समय सारिणी देखें।

उ0प्र0 पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती-2023

1. **1.1** उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर, पे बैंड-9300-34800 ग्रेड पे-4600 नये वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रू0 44900-142400/-के अन्तर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

प्रोग्रामर ग्रेड-2

क्र0सं0	श्रेणी	पदों की संख्या
1	अनारक्षित	24
2	ई0डब्ल्यू0एस0	5
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	14
4	अनुसूचित जाति	11
5	अनुसूचित जनजाति	1
योग		55

- 1.2 कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे।
- 1.3 परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

2.1 आवेदन की समय सारिणी-

क्र0सं0	विवरण	तिथि
1	आनलाइन आवेदन/शुल्क जमा प्रारम्भ होने की तिथि	07.01.2024
2	आनलाइन आवेदन/शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	28.01.2024
3	शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	30.01.2024

2.2 आवेदन शुल्क

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क रू0-400.00/- (रुपये चार सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।


1

3 अर्हतायें:-

3.1-राष्ट्रीयता

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो।

3.2-शैक्षिक अर्हता:-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। एवं

भारत सरकार के डिपार्टमेन्ट आफ इलेक्ट्रानिक्स एकीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्प्यूनिवेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में "ए" लेबिल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक(कम्प्यूटर विज्ञान) या विज्ञान स्नातक (सूचना प्रौद्योगिकी) या विज्ञान स्नातक (इलेक्ट्रानिक्स) की उपाधि के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.सी.ए.)या भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

टिप्पणी:-

- (1) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (Appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (Appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे।
- (2) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।



3.3 अधिमानी अर्हतायें:-

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान (Preference) दिया जायेगा, जिसने:-

- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या
- (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या
- (तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो।

3.4 आयु:-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

- (1) अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2023 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01-07-1993 से पूर्व तथा 01-07-2002 के बाद का नहीं होना चाहिए।

परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।

3.5 चरित्र

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपना समाधान किया जायेगा।

टिप्पणी:-

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

3.6-वैवाहिक प्रास्थिति-

नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

टिप्पणी:-

यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह (Bigamy) अथवा बहुविवाह (Polygamy) करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

3.7-शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे।

 3

4-भर्ती की प्रक्रिया-

यह चयन "उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2011" यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा प्रथम (संशोधन) नियमावली 2015 के अधीन किया जायेगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट <https://uppbpb.gov.in> पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

4.1 लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी एवं कुल प्रश्न 160 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा होगी एवं दो भागों में होगी, जिसकी समयावधि ढाई घंटे की होगी। प्रत्येक भाग 100 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्न पत्र **मानसिक सामर्थ्य, तर्कशक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी** से होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग **कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग** से संबन्धित होगा। प्रश्नपत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट - 1 में संलग्न है।

ऑन लाइन लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार एक ही तिथि को एक ही पाली में करायी जायेगी। किसी अपरिहार्य कारणवश एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में भी करायी जा सकती है। एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में परीक्षा कराये जाने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रसामान्यीकरण बोर्ड की सूचना/विज्ञप्ति संख्या :पीआरपीबी-एक-1-(155)/2023 दिनांक 18.12.2023 के अनुसार किया जायेगा।

परीक्षा के उपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां आन लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं० 2669(एमबी)/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जायेगा:-

सूत्र:- अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर दिये गए प्रश्नों की संख्या X कुल निर्धारित अंक
प्रश्न पत्र में सही पश्नों की संख्या

परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत (प्रसामान्यीकृत/Normalised) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

4.2 अभिलेखों की संवीक्षा

लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी (लम्बवत्/क्षैतिज) के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी

अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संवीक्षा दल के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रेषित की जायेगी व अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

संवीक्षा के दौरान आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना तथा सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण-पत्र अभिनिर्धारित योग्यता/मानक/ नियमावली/ शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा और तदनु रूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा व आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही भी की जायेगी।

4.3 चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची:-

(अ) परीक्षा एवं अभिलेखों की संवीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रकिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

(ब) बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

(स) (i) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(ii) इसके बाद भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा।

(iii) यदि उपर्युक्त विचारों के बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक एक समान हों, तो अभ्यर्थी की अधिमानता का निर्धारण हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।

5-आरक्षण व आयु सीमा में छूट

5.1- लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

5.2- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2020 दिनांक 31-08-2020 के अनुसार किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अन्तर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रूपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S.) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-

1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण (E.W.S.) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा E.W.S. श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने के वित्तीय वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24) हेतु मान्य E.W.S. प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

5.3- महिलाओं के लिए आरक्षण उ0प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 18/1/99/का-2/99 दिनांक-26-02-1999 एवं शासनादेश संख्या: 18/1/99/का-2/2006 दिनांक 09-01-2007 यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग के शा0सं0-39-रिट/का-2/2019 दिनांक 26-06-2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा0उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों को विचार में लिया जायेगा।

5.4- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं:-

5.5- लम्बवत (Vertical) आरक्षण


क्र0 सं0	श्रेणी	प्रति शत	सुसंगत अधिनियम/ शासनादेश	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/ अतिरिक्त

			अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994, (यथा संशोधित)			जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	शासनादेश सं० 3/192019/4/1/2002/का-2-19टी0सी 0-11, 14.03.2019	-	EWS प्रमाण पत्र प्रारूप-3,3A	जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

5.6- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण

क्र० सं०	समूह	प्रतिशत	सुसंगत अधिनियम / शासनादेश	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993	-	DFP का प्रमाण पत्र प्रारूप-4	जिलाधिकारी
2	भूतपूर्व सैनिक	05	उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993	3 वर्ष*	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	सक्षम सैन्य अधिकारी/यूनिट प्रभारी
3	महिला	20	शासनादेश सं० 18(1)/95-का-2/99 दिनांकित 26-02-99, शा०सं०-18/1/99-का-2/2006 दिनांक 09-01-2007 यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग के शा०सं०-39-रिट/का-2/2019 दिनांक 26-06-2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों, चाहें वे भारत वर्ष के किसी भी राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश से सम्बन्धित हो, को विचार में लिया जायेगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।	-	-	-

नोट-उत्तर प्रदेश शासन की क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) की नीति समग्र (Overall) क्षैतिज आरक्षण की है।

 7

* भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.7— राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ईरुएम:/2001(1)-का-4-2013 दिनांक, 27 अगस्त 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण-पत्र प्रारूप-5 के अनुरूप निर्गत होना चाहिए।

5.8— शासन के पत्र संख्या-17/6-पु0-10-2016-27(3)/2016 दिनांक 18 जनवरी 2016 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमन्यता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है और उत्तर प्रदेश का राजकीय सेवक भी है तो आयु सीमा में उसे अधिकतम छूट 5 वर्ष ही अनुमन्य होगी।

5.9—स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितः—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और—

- (एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या
- (दो) जिसने कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो, या
- (तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो, या
- (चार) जिसमें कम से कम दस बंतो का दण्ड भोगा हो, या
- (पाँच) जो गोली से घायल हुआ हो, या
- (छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो, या
- (सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो, या
- (आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या
- (नौ) जो इन्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या
- (दस) जिसे गांधी-इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

5.10— भूतपूर्व सैनिकः—

“भूतपूर्व सैनिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—

- (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या
- (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या
- (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या
- (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैंः—

- (a) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,
- (b) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और
- (c) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

टिप्पणी:-

- (1) आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन-पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो।
- (2) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा।
- (3) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (4) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा।
- (5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार **कीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। **अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-2) 01 अप्रैल, 2023 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए।**
- (6) उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-1, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप-3, 3A, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप-4, तथा आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप-5 **परिशिष्ट-2** पर है।
आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारीद्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा कीजाये तब वे उसे प्रस्तुत करें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (7) महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्षैतिज आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- (8) भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (9) लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।
- (10) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता

हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

- (11) यदि लम्बवत (Vertical) आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा-आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।
- (12) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।
- (13) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

6-ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

- (1)-अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट <https://uppbpb.gov.in> पर जाकर All Notification/Advertisement को क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् उ0प्र0 पुलिस में कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिए Candidate's Registration पर क्लिक कर आगे की प्रक्रियाओं को पूर्ण करना होगा।
- (2)-आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।
- (3)-इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन-डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से करना होगा।
- (4) **हेल्पलाइन-** आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी भी समस्या के निराकरण हेतु **हेल्पलाइन नंबर 044-47749010** जारी किया जा रहा है, जो आवेदन करने की **अन्तिम तिथि 30-01-2024 तक** क्रियाशील रहेगा।


ऑनलाइन शुल्क का भुगतान-

- (i)-आवेदन पत्र में भरे गये विवरण सही हैं, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार स्क्रीन पर मांगी जा रही जानकारी देते हुए डेटा सबमिट करें और डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग/यूपीआई का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें। ऑनलाइन व्यय, अगर कोई है, तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
- (ii)-ऑनलाइन शुल्क के सफलता पूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिन्ट करते ही Submit हो जायेगा। यदि अभ्यर्थी अन्तिम रूप से Submit नहीं करता है तो अन्तिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः Submit हो जायेगा।

टिप्पणी-

शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में ही उसका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

- (v)- अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन की अन्तिम तिथि के पूर्व अपना विवरण केवल एक बार संशोधित कर सकता है परन्तु वह अपने मोबाइल नम्बर, ई-मेल तथा आधार नम्बर में कोई संशोधन नहीं कर सकता।

 10

(vi)–आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद उसमें किसी परिवर्तन/संशोधन हेतु कोई अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी इस प्रयोजन हेतु बोर्ड से कोई पत्राचार न करें।

शैक्षिक एवं आरक्षण से संबन्धित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डीजी लॉकर (DigiLocker) के माध्यम से अपलोड करना

अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक, आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण-पत्र जो कि डीजी लॉकर (DigiLocker) पर उपलब्ध हो, उन्हें डीजी लॉकर (DigiLocker) के माध्यम से ही अपलोड करें व जो प्रमाण पत्र डीजी लॉकर(DigiLocker) पर उपलब्ध न हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें।

फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर

आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग-अलग अपलोड करना होगा।

अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार (न्यूनतम 20 के0बी0 तथा अधिकतम 50 के0बी0) व हस्ताक्षर (न्यूनतम 05 के0बी0 तथा अधिकतम 20 के0बी0) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखे कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फोटो का आकार 35 मिमी0 (1.4 इंच) ×45 मिमी0 (1.75 इंच) का होना चाहिए। जिसमें फोटो का लगभग 70 प्रतिशत भाग चेहरे से अच्छादित हो। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:–


- 1–चेहने की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए
- 2–नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।
- 3–सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठ भूमि आवश्यक है।
- 4–टुडुडी से शिखर तक साफ दिखता हो।
- 5–तटस्थ अभिव्यक्ति (मुह बन्द आंखे खुली)
- 6–चेहरे के दोनो के किनारे (दोनो कान) साफ दिखते हो।
- 7–कैमरे पर सीधी नजर हो।
- 8–चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए।
- 9–फोटो में टोपी,मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार अभ्यर्थी 3.5 से0मी0 चौड़ा व 1.5 से0मी0 लम्बे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर **JPEG, JPG, JPE** के प्रारूप में स्कैन करेगे जिसका आकार 5 के0बी0 से अधिक व 20 के0बी0 से कम होना चाहिए।

उपर्युक्त विनिर्देश (**Specifications**)युक्त फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7– आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:–

- (1) ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे। द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे। तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाईट पर जाकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे।


11

- (2) अभ्यर्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाये। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा।
- (3) अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।
- (4) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं तो उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (5) किसी सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र पर चस्पा किये जा रहे फोटो अथवा लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8- भर्ती से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश-


- (1) विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों/शासनादेशों में निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुरूप आरक्षित/अनारक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- (2) किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार बोर्ड को होगा।
- (3) यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/ सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुति भी कर दी गयी हो तो बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जायेगी।
- (4) बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (5) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- (6) छद्म प्रतिरूपण (Impersonation) करने या उसमें सहयोग देने वाले (अभ्यर्थी एवं उसके सहायक) के विरुद्ध अभ्यर्थन निरस्त करने भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) करने की कार्यवाही तथा वैज्ञानिक कार्यवाही की जायेगी।
- (7) बोर्ड किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट को देखते रहें।



- (8) बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- (9) इस सूचना/विज्ञापित के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।
- (10) यह विज्ञापित संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 व अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अधिनियमों/शासनादेशों के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभाष आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

8-बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

 29/11/23

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम**1- मानसिक सामर्थ्य (Mental ability)**

Logical Diagrams-तार्किक आरेख, Symbol-Relationship Interpretation संकेत-सम्बन्ध विश्लेषण, Codification- संकेतीकरण, Perception Test प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, Word formation Test- शब्द रचना परीक्षण Letter and number series-अक्षर और संख्या श्रृंखला Word and alphabet Analogy [शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, Common Sense Test - व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, Letter and number coding अक्षर और संख्या संकेत Direction sense Test दिशा ज्ञान परीक्षण, Logical interpretation of data-आकड़ों का तार्किक विश्लेषण, Forcefulness of argument प्रभावी तर्क, Determining implied meanings अतर्निहित भावों का विनिश्चय करना

2- तर्कशक्ति (Reasoning)

Analogies-समरूपता, Similarities समानता, Differences, भिन्नता, Space visualization खाली स्थान भरना, Problem solving-समस्या को सुलझाना, Analysis and Judgement-विश्लेषण और निर्णय Decision-making-निर्णायक क्षमता, Visual memory- स्मृति, Discrimination-विनंदन क्षमता, Observation- प्रेक्षण, Relationship सम्बन्ध Concepts अवधारणा, Arithmetical reasoning-अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series- अंकगणितीय संख्या श्रृंखला Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता

3- सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)

भिन्नता, Space खाली स्थान भरना, Problem solving-समस्या को सुलझाना, Analysis and Judgement-विश्लेषण और निर्णय Decision-making-निर्णायक क्षमता, Visual memory- स्मृति, Discrimination-विनंदन क्षमता, Observation- प्रेक्षण, Relationship सम्बन्ध Concepts अवधारणा, Arithmetical reasoning अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series- अंकगणितीय संख्या श्रृंखला Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता।

Digital Logic

Logic functions, Minimization, Design and synthesis of combinational and sequential circuits; Number representation and computer arithmetic (fixed and floating point)

Computer Organization and Architecture

Machine instructions and addressing modes, ALU and data-path, CPU control design, Memory interface, I/O interface (Interrupt

and DMA mode), Instruction pipelining, Cache and main memory, Secondary storage.

Programming and Data Structures

Programming in C: Functions, Recursion, Parameter passing, Scope, Binding

Abstract data types, Arrays, Stacks, Queues, Linked Lists, Trees, Binary

search trees, Binary heaps.

Algorithms

Analysis, Asymptotic notation, Notions of space and time complexity, Worst

and average case analysis; Design: Greedy approach, Dynamic programming.

Divide-and-conquer: Tree and graph traversals, Connected components,

Spanning trees, Shortest paths, Hashing, Sorting. Searching asymptotic

analysis (best, worst, average cases) of time and space, upper and lower

bounds, Basic concepts of complexity classes P, NP, NP-hard, NP-complete.

Compiler Design

Lexical analysis, parsing. Syntax directed translation, Runtime environments,

Intermediate and target code generation. Basics of code optimization.

Operating System

OS: Windows Server, UBUNTU, UNIX Commands & Tools Processes.

Threads, Inter-process communication, Concurrency, Synchronization,

Deadlock CPU scheduling. Memory management and virtual memory, File

systems, I/O systems, Protection and security.


Workplace productivity Tools:

Word Processing Tools, Electronic spreadsheets, Electronic presentation tools,

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), Open Office. Using these

tools in English and official Indian languages (Windows, UNIX and Unicode

Fonts), Exchange of Files across these platforms, GUI Development Tools



Databases

ER-model, Relational model (relational algebra, tuple calculus), Database design (integrity constraints, normal forms). Query languages (SQL), File structures (sequential files, indexing, B and B+ trees). Transactions and concurrency control, MySQL, MS SqlServer with Advance Technique, Mirroring.

Information Systems and Software Engineering

Information gathering, requirement and feasibility analysis, data flow diagrams, process specifications, input/output design process life cycle, planning and managing the project, design, coding, testing, implementation, maintenance.

Computer Networks

ISO/OSI stack, LAN technologies (Ethernet, Token ring), Flow and error control techniques, Routing algorithms, Congestion control TCP/UDP and sockets IP (v4), Application layer protocols (ICMP, DNS, SMTP, POP, FTP, and HTTP). Basic concepts of Hubs, Switches, gateways and routers, Network security basic concepts of public key and private key cryptography, digital signature, firewalls, IPv4, IPv6, Subnetting, SAN(Storage Area Network), Data centre and its architecture, Cloud Network and its securities

Web technologies

HTML, CSS, XML, basic concepts of client-server computing, ASP.Net

4- कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग Computer Programming

Introduction:

History of Computing, Future of Computing, Trends in Programming Language.

Programming Language:

C Language: Introduction to 'C' Language, Conditional Statements and Loops, Arrays, Functions, Storage Classes, Structures and Unions, Pointers, Self- Referential Structures and Linked Lists, Recursion, Parameter Passing, Scope. Binding. Abstract Data Types, Stacks, Queues, Trees, Binary Search Trees, Binary Heaps, Programming & Problem Solving Through 'C' Language

C++ with Object Oriented Programming: Overview of Object Modelling, Object and Dynamic Modelling, Functional Modelling. System and Object Design, Comparison of Existing Methodology, Programming Style in object Oriented Oriented, Relational Data

Base Object, Object Diagram Compiler, and distributed Design System.

An overview of C, Origin of C++, Classes and Objects, arrays, Pointers and references, Functions and Operator Overloading. Inheritance, Virtual Function and Polymorphism, C++ I/O, System Basics, C++ files I/O, Array based VO. Templates and Generic Programming, Exception Handling, Templates.

Java:

Java Applets, Graphics, Graphical User Interfaces, Exception Handling. Threads: Java basics, Java coding conventions, Java API, Garbage collection. I/O Streams, Java database connectivity, AWT, Swing, Advance Server techniques like Servlet, JSP.

Parallel Computing:

MPI, Open MP. Threads

Java Script:

If, if else switch statements, Loop statements (for/while/do-while), Objects (Date and Months). Using Buttons, Object Handling Statements (for-in/with). JavaScript functions.

Internet and web programming:

Foundations for Internet programming- An overview of Internet Programming-TCP/IP Protocol Model, LAN Topologies, Internetworking IP Address & Domain Names, Client Server Model, WWW Design Issue. Security and Encryption, Developing Internet Application. Java and Internet. Java Development Environments.

Introduction to Java Programming, Visual C++, Tools for Internet and Desktop, Extending Java using Active X. CGI & Internet Application, Perl and Internet, Perl in Internet Application. Microsoft Implementation using win 32 Internet (Winl.net), Java script. VB Script, Python Language.

Internet Mark-up Language (HTML5, SGML) Netscape Extension, Microsoft Internet only HTML, Text Shockwave and Lingo, creating an active X control to Active Web Page, Creating Netscape Navigator, Pulling Web Information, Creating a custom Integrated Application and Real Audio.



प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील.....
 नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....
 जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि
 समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश,
 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।
 श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....
ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
 में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
 मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
 जिला समाज कल्याण अधिकारी



प्रारूप-2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
 सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील.....
 नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....
 पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,
 अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994
 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया
 जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित)
 की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा
 प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा
 संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्षों की
 अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा
 इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी
 नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर
 प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
में सामान्यतः रहता है ।

स्थान.....
 दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
 पूरा नाम.....
 पदनाम.....
 मुहर.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
 सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

प्रारूप-3

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्रस्वयं घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बापोस्ट
 ऑफिस.....थाना.....ब्लाक.....
तहसील.....जिला.....
 ...राज्यने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
 दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं.....जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु0 (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती है।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है:-

- I. 05(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- V. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम

स्थान :-.....

दिनांक :-.....



प्रारूप-3A

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी,सी,-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-
पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या- दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष.....के लिये मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी
.....ग्राम/कस्बापोस्ट
ऑफिस.....थाना.....तहसील..........जिला.....राज्य.....पिन
कोड..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8
लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी
परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 05(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फलैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिका का
आवासीय भूखण्ड
- V. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी

.....जाति.....के सदस्य हैं, जो अनुसूचित
जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।आवेदक का
पासपोर्ट साईज.
का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफहस्ताक्षर.....
कार्यालय का मुहर सहित
पूरा नाम.....
पदनाम.....जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी /
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

प्रारूप-4

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-4/3/1982-कार्मिक-2,1997 दिनांक 26 दिसम्बर, 2015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....निवासी.....
.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के
आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).....
पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त
श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....के आश्रित हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पद नाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी



प्रारूप-5

राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप
(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाये जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....राज्य सरकार के कर्मचारी है जो
वेतनमात्र.....में.....के पद
पर.....विभाग/ कार्यालय में दिनांक.....से नियमित आधार पर
सेवारत हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

(कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष)

नाम.....

पद नाम.....

मुहर.....

